


कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित	प्रारम्भ में आवेदन	योग	माह में प्राप्त आवेदन	कुल विचाराधीन आवेदन	माह में निस्तारण	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	योग				30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री सजय कुमार अधीक्षण अभियन्ता प्र०सू०प्र० सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	-	-	-	66	66	66	00	00	00

नोट - एक पत्र मूलरूप में आवेदक को वापस ।


 06.06.2018
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
 06/6/18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

सूचना प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदनों के सम्बन्ध में मासिक सूचना का प्रारूप

क्र०सं०	विभाग का नाम	अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के लम्बित अपीलयी पत्रों की सं०		योग	माह में प्राप्त अपीलिय पत्र	कुल विचाराधीन अपीलिय पत्र	माह में निस्तारित अपीलिय पत्र	अवशेष		योग
			30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर					30 दिन के अन्दर	30 दिन के ऊपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	सिंचाई विभाग	श्री डी०के० मिश्रा मुख्य अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन सि०वि०, उ०प्र०, लखनऊ	00	03	03	05	08	वर्तमान के 05 पूर्व के अवशेष 03 योग- 08	00	00	00

[Signature]
06.06.2018

अधीक्षण अभियन्ता एवं
जनसूचना अधिकारी, सि०वि०
06.06.18

05/2018

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा लोक प्रचिकरण में नामित सूचना अधिकारियों पर आरोपित अधिसूचित शर्तों (1992) का विवरण।
अनसूचित अधिकारी कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिन्हाई किन्नर (उत्तर प्रदेश लखनऊ)

क्र. सं.	विभाग का नाम	ज. सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पारित किया गया	दण्ड पारित करने का दिनांक	दण्ड की विधि (अधिसूचित शर्तों)	पारित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गई जनसांख्यिकी अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा ज. सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (वापस कार्ड हो)	पारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	अध्यक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सिन्हाई विभाग	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त) मुख्य अभियन्ता (सोन)	वाद संख्या- एस 8/684 / सी / दिनांक 28.06.10	200000.00				इस कार्यालय के पत्र सं-709 /दिनांक 11.6.11 पत्रांक 1587 /दिनांक 12-10-12 एवं पत्रांक 1120 / प्रसू/प्र/दिनांक 7.6.13 के माध्यम से पारित कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (सोन)को पत्र लिखा गया है एवं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक सी-15 /एकेएसआई /दिनांक 15.8.2013 एवं पत्रांक सि-1584 /सेन /दिनांक 13.8.13 के माध्यम से तबत अधिसूचित अर्थात्पण्ड माफ किया जाने हेतु मा0 राज्य सूचना आयोग से अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 1118 / प्रसू प्र /दिनांक 01.07.2013 एवं पत्रांक 1864 / प्रसू प्र / शारित / दिनांक 07.08.2013 पत्रांक 266 / प्रसू प्र / दिनांक 5.3.2014, पत्रांक 1850 / प्रसू प्र / दिनांक 20.11.14 एवं पत्रांक 237 / प्रसू प्र / दिनांक 11.3.15 के माध्यम से सूची में अद्यतन स्थिति हेतु पत्र लिखा गया है।
		श्रीमान श्री श्रीवास्तव, दिनांक 08.06.2018	सी-18990 / एस 11 / 2024 / सी-101	200000.00				इस कार्यालय के पत्र सं- 101 /दिनांक 08.06.2018 पत्रांक 1008 / प्रसू प्र / दिनांक 08.06.2018 पत्रांक 1008 / प्रसू प्र / दिनांक 08.06.2018 पत्रांक 1008 / प्रसू प्र / दिनांक 08.06.2018

						<p>2013/11/07/ प्रसुप्र/दिनांक 11.07.13 पत्रांक 1585/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013 पत्रांक 1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एव पत्रांक 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।</p>
3	तटीय	अविभासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	गांव संख्या एस7-2705 दिनांक 10.06.11	25000.00		<p>इस कार्यालय के पत्रांक 593/प्रसुप्र/दि० 28.2. 12,पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक12.10. 12,पत्रांक 352/ दि० 15.2.13, पत्रांक 440/ प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13, पत्रांक 709 / प्रसुप्र/ दिनांक 3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10. 6.13,पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07. 2013,पत्रांक1585/प्रसुप्र/दिनांक 07.08. 2013,पत्रांक 1784/ प्रसुप्र/ दिनांक 18 सितम्बर, 2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 8.3 2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एव पत्रांक 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।</p>
4	तटीय	अविभासी अभियन्ता फतेहपुर खंड निचली गंगा नहर फतेहपुर	गांव संख्या- एस 7-653/ /सी/09 दिनांक 03.10.12	25000.00		<p>इस कार्यालय के पत्रांक-593/प्रसुप्र/दि० 28.2. 12,पत्रांक 1597/ प्रसुप्र/ दिनांक12.10. 12,पत्रांक 352/दि० 15.2.13, पत्रांक440 /प्रसुप्र/दिनांक 27.2.13एवं पत्रांक:709 /प्रसुप्र/ दिनांक3.4.13, पत्रांक 1137/प्रसुप्र/दिनांक 10.6.13, पत्रांक 1319/प्रसुप्र/दिनांक 01.07.2013, पत्रांक1585/प्रसुप्र/दिनांक 07.08.2013, पत्रांक 308/प्रसुप्र/दिनांक 8.3.2014, पत्रांक-1352/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एव पत्रांक 235/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।</p>
5	तटीय	अविभासी अभियन्ता सिंधाई खण्ड 89 फतेहपुर खण्डा-नहर	गांव संख्या एस7-739 /सी/10 दिनांक 10.06.12	25000.00		<p>अविभासी अभियन्ता द्वारा अपने पत्रांक 87/प्रसुप्र/दिनांक 11.1.13 के अनुक्रम से प्रस्ताव कराया गया है कि जल नहर की लंबाई हेतु दिनांक 11.1.12 के माध्यम से एव माध्यम से वांछित की गयी है एवइस कार्यवाही के पत्रांक 820/प्रसुप्र/दिनांक 22.4. 13, पत्रांक 1122/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से वांछित कार्यवाही हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।</p>

6	तदेव	श्री श्री0पी0 सिंह अधिकाारी सिंचाई खण्ड द्वितीय कृषीनगर	वाढ संख्या एस 4-887 /सी/11 दिनांक 02.02.12	25000.00	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबादके आदेश दिनांक 29.4 13 द्वारा दण्ड स्थगित।	<p>1/एम/आदेश/दिनांक 18 सितंबर 2013. 205/प्रसू/दिनांक 15.2.2014. पत्रांक-1386/प्रसू/दिनांक 20.10.14 एवं पत्रांक 213/प्रसू/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है।</p> <p>अधिकाारी अधिकाारी सिंचाई खण्ड द्वितीय कृषीनगर कोइस कार्यालय के पत्रांक 1400/प्रसू/दिनांक 30.9.12 1511/प्रसू/दिनांक 26.9.12 पत्रांक 819/प्रसू/दिनांक 24.4.13 पत्रांक 1134/प्रसू/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1333/प्रसू/दिनांक 03.07.2013 एवं के माध्यम से उक्त अधिरोपित दण्ड की वसूली हेतु सम्बन्धित को निर्दिष्ट किया गया है। मुख्य अधिकाारी (मण्डक) सिंचाई गोरखपुर द्वारा उक्त पत्रांक:3316/मुआगो/दिनांक 02.05.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त वसूली के विरुद्ध दिनांक 29.4.2013 को स्थगन आदेश पारित किया गया है।</p>
7	तदेव	श्री आरपी मौलम अधिकाारी अधिकाारी सिंचाई खण्ड हाथरस	वाढ संख्या एस 10 -2017/सी/11 दिनांक 01.12.11	25000.00	दण्ड वसूल	<p>अधिकाारी अधिकाारी सिंचाई कार्य मण्डल खण्ड द्वारा अपने कार्यालय डाप सं0-2547 /सिकामम/दिनांक 20.3.13के माध्यम से अधिरोपित घनराशि की कटौति सम्बन्धित अधिकाारी अधिकाारी के वेतन से कर ली गयी है एवं उक्त घनराशि को राजकोष में जमा कराकर रसीद की छायाप्रति फासन एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 1123/प्रसू/दिनांक 7.6.13 पत्रांक 1337/प्रसू/दिनांक 04.07.2013, पत्रांक 1568/प्रसू/दिनांक 07.08.2013 एवं के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।</p>
8	तदेव	श्री राजाराम अधिकाारी अधिकाारी अधिकाारी केने सौर प्रखण्ड (बी)	वाढ संख्या एस 4-20/ सी/11 दिनांक 13.05.12	25000.00		<p>अधिकाारी अधिकाारी केने सौर प्रखण्ड बी के द्वारा कार्यालय के पत्रांक 1121 /प्रसू/दिनांक 7.7.11 एवं पत्रांक 1336/प्रसू/दिनांक 04.07 2013, पत्रांक 1568/प्रसू/दिनांक 07.08 2013, पत्रांक 1569/प्रसू/दिनांक 20.10 11, पत्रांक 1569/प्रसू/दिनांक 11.12.11 एवं पत्रांक 2100/प्रसू/दिनांक 21.3.15 के माध्यम से निर्दिष्ट किया गया है।</p>

9	तदेव	श्री आर्यो वीरविष्ट अभिषेकरी सिंघाई खण्ड प्रथम बलिया	वाद संख्या एस 4- 489/ सी/11 दिनांक	25000.00	दण्ड वसूल (रसीद अप्राप्त)	निर्दिष्ट किया गया है । अभिषेकी अभियन्ता द्वारा अप्रति पत्रक आ / सिंघाई/दिनांक 31.07.2013 के माध्यम से दण्ड माफी हेतु मा0 राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की गयी है । अभिषेकरी अभियन्ता सिंघाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर को इस कार्यालय के पत्रक 177/प्रसुप्र/दिनांक 22.01.13 एवं पत्रक 441/प्रसुप्र/दिनांक 27.02.13, पत्रक 1119/ प्रसुप्र/दिनांक 7.8.13 पत्रक 1330/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013 एव के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली की रसीद की प्रमाणित प्रति हेतु निर्दिष्ट किया गया है । (दण्ड वसूल)
10	तदेव	अभिषेकरी अभियन्ता सिंघाई खण्ड प्रथम बलिया	वाद संख्या एस 4- 1429/ सी/11 दिनांक 13.6.12	25000.00		अभिषेकरी अभियन्ता सिंघाई खण्ड प्रथम बलिया को इस कार्यालय के पत्रक 23/प्रसुप्र/दिनांक 4.1.12 पत्रक 1133/प्रसुप्र/दिनांक 7.8.13 पत्रक 1329/प्रसुप्र/दिनांक 03.07.2013, पत्रक 1567/प्रसुप्र/ दिनांक 07.08.2013, 307/प्रसुप्र/दिनांक 6.3.2014 एवं पत्रक-1355/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एव पत्रक 234/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड की वसूली/अद्यतन स्थिति हेतु निर्दिष्ट किया गया है ।
11	तदेव	अभिषेकरी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड-39 इलाहाबाद ।	वाद संख्या-7/ 362/सी/10	25000.00	वाद पुनस्थापित	इस कार्यालय के पत्रक 1571/प्रसुप्र/दि0 8.8.2013 पत्रक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 एव पत्रक-1351/प्रसुप्र/दिनांक 20.10.14 एव पत्रक 240/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है अभिषेकरी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मा0 आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है अभिषेकी सूचनाई 21.07.13 को लेनी थी अद्यतन स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है ।
12	तदेव	अभिषेकरी अभियन्ता -वीर खण्ड-प्रथम पत्र प्रथम	वाद संख्या 6/ 15013/सी/10	25000.00		इस कार्यालय के पत्रक 1571/प्रसुप्र/दिनांक 8.8.2013 पत्रक 1782/प्रसुप्र/दिनांक 18.9.2013 एव पत्रक 240/प्रसुप्र/दिनांक 11.3.15 के माध्यम से अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है अभिषेकरी अभियन्ता द्वारा अधिरोपित दण्ड माफ किये जाने हेतु मा0 आयोग के समक्ष दिनांक 11.6.2013 को प्रमाणित प्रस्तुत किया गया है अभिषेकी सूचनाई 21.07.13 को लेनी थी अद्यतन स्थिति की सूचना अभी तक अप्राप्त है ।

11	गैर	श्री मृग सिंग अधीक्षण अभियन्ता (निर्माण) समूह मृग अभियन्ता (गैर)	मार्ग संख्या - 1 1658/सी/11	25000.00		
----	-----	--	--------------------------------	----------	--	--

मात्रा में अधिमात्रा नहीं है कि यह सं-
सूचना प्रमाण द्वारा दिनांक 06.06.2018 को जो
का नई सुधारों की जा रही है।
इस कार्यवाही में पत्राचार/पत्र/दिनांक
2018 के माध्यम से एक प्रमाण/प्रमाणिका
हो पात्र तैयार किया है।


 06.06.2018
 अधीक्षण अभियन्ता एवं
 जन सूचना अधिकारी

 07.6/18